न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,रायपुर (पाली)

पीठासीन अधिकारी :— श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 02/2020

प्रकरण दर्ज तिथि :— 05.08.2020

जीसीएमएस नम्बर :— 2020/00090

प्रार्थीगण

1. उम्मेद सिह पुत्र श्री दुलेसिंह, उम्र—वयस्क,
2. भुपेन्द्रसिंह पुत्र श्री हडमानसिह, उम्र—वयस्क,
3. रवीन्द्रसिंह पुत्र श्री हडमानसिंह, उम्र—वयस्क, जातियान राजपुत निवासीगण गुडीया तहसील रायपुर जिला पाली राज.

बनाम

अप्रार्थी

1. चुनसिंह पुत्र श्री छेलुसिंह, उम्र—वयस्क,
2. मनोहर सिंह पुत्र श्री छेलुसिंह, उम्र—वयस्क,
3. गणपतसिंह पुत्र श्री किशनसिंह, उम्र—वयस्क,
4. नरपतसिंह पुत्र श्री किशनसिंह, उम्र—वयस्क,
5. प्रेमीदेवी पत्नि श्री किशनसिंह, उम्र—वयस्क,
6. कालुसिंह पुत्र श्री छैलुसिंह, उम्र—वयस्क,
7. चम्पासिंह पुत्र श्री छैलुसिंह, उम्र—वयस्क,
8. पुनमसिंह पुत्र श्री छैलुसिंह, उम्र—वयस्क,
9. लक्ष्मणसिह पुत्र श्री शंकर सिंह, उम्र—वयस्क,
10. ओगडसिंह पुत्र श्री शंकरसिंह, उम्र—वयस्क,
11. जानीदेवी पत्नि श्री बंशीसिंह, उम्र—वयस्क,
12. प्रेमसिंह पुत्र श्री बंशीसिंह, उम्र—वयस्क,
13. जगदीश सिंह पुत्र श्री बंशीसिंह, उम्र—वयस्क,
14. बाबुसिंह पुत्र श्री बंशीसिह, उम्र—वयस्क,
15. जसवन्तसिंह पुत्र श्री पोकरसिंह, उम्र—वयस्क,
16. रघुवीरसिंह पुत्र श्री पोकरसिंह, उम्र—वयस्क, समस्त प्रतिवादीगण जाति रावणा राजपुत निवासीगण गुडीया तहसील रायपुर जिला पाली राज.
17. राज. सरकार बजरिये लैण्ड हौल्डर. तहसीलदार रायपुर,

प्रकरण अन्तर्गत धारा 251 ''क'' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : 1. श्री जसवंत सिंह सांखला अधिवक्ता प्रार्थीगण
2 **श्री बिहारीलाल राजपुराहित अधिवक्ता अप्रार्थी गण अनुपस्थित**

—: निर्णय :— **दिनांक : 12.01.2023**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी अधिवक्ता श्री जसवंत सिंह सांखला ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भुमि सरहद मौजा गुडिया पटवार हल्का सबलपुरा भु. अभि. निरि. कोटकिराणा तहसील रायपुर के खसरा नं. 110 रक्बा 29 बीघा 18 बिस्वा किस्म चाही सोयम, खसरा नं. 111 रक्बा 08 बीघा 02 बिस्वा किस्म चाही सोयम, खसरा नं. 112 रक्बा 11 बीघा 13 बिस्वा किस्म चाही सोयम, खसरा नं. 113 रक्बा 07 बिस्वा किस्म गे. मु. बेरा, खसरा नं. 114 रक्बा 11 बिस्वा किस्म गै. मु. बेरा, खसरा नं. 115 रक्बा 01 बीघा 03 बिस्वा किस्म चाही सोयम, खसरा नं. 116 रक्बा 11 बीघा 18 बिस्वा किस्म चाही सोयम भुमि आई हुई है एवं राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थीगण का नाम दर्ज रेकर्ड है। जिनकी जमाबंदी संवत 2072—2076 की प्रमाणित प्रति, नक्शा ट्रेश की प्रमाणित प्रति तथा नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का आवश्यक भाग माना जावें। उक्त प्रार्थना पत्र मे उक्त भुमि को विवादित भुमि कहा जायेगा। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भुमि मे पुर्वजो के समय से ग्राम की आबादी भुमि से होते हुए सार्वजनिक सरकारी रास्ता खसरा सं. 125 गै. मु रास्ता से होते हुए बिना किसी रोक टोक अप्रार्थीगण की खातेदारी भुमि खसरा सं. 129 मे से एक तरफ माठ के लगते हुए नजरी नक्शे अनुसारअपने खेत मे आया जाया करते थें जो वर्तमान भी कर रहे हैं। प्रार्थीगण के कृषि के सम्बन्ध के साधन भी आ जा रहे थे जो प्रार्थिगण लम्बे समय से आवागमन हेतु रास्ता का उपयोग उपभोग करते थे जहां पर अप्रार्थीगण ने अपना हक अधिकार नही जमाया ना ही वहां खेत की थी जिस कारण लम्बे समय वक्त सेटलमेन्ट से ही वहां

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

कच्चा रास्ता मौके पर बना हुआ जिस से प्रार्थीगण स्वयं एवं उनके कृषि उपयोगी साधन आया जाया करते है जिसमे अप्रार्थीगण ने कभी बाधा उत्पन्न नहीं कि एवं बिना किसी तकलीफ के प्रार्थीगण एवं उनके काश्तकार परिवारजन आया जाही कर रहे थे। कि दिंनाक 19/02/2020 को फसल की कटाई समय एवं दिंनाक 20/07/2020 को बारिश होने से प्रार्थीगण की भुमि को बोने हेतु ट्रैक्टर ले जाने पर अप्रार्थीगण ने जाने से मना कर दिया कि ओर कहा कि तुम यहा कया मागते हो ये हमारी खातेदारी भुमि है तुम कहीं ओर से अपने आने जाने की व्यवस्था करो हम यहॉ से नही जाने देगे जिस कारण वहा विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई जबकि अप्रार्थीगण को रास्ता बंद करने का एवं रास्ता रोकने का कोई हक अधिकार नही हैं अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी होने को नाजायाज फायदा उठा कर प्रार्थीगण को परेशान करना चाहते है। प्रार्थीगण को भुमि आने जाने का रेकर्डड रास्ता नही होने से प्रार्थीगण को भारी समस्या का सामना करना पड रहा है। प्रार्थीगण अपनी इस फसल को बोने निदान करवाने एवं उसकी कटवाई करवाने एवं अपने खातेदारी भुमि मे जाने के लिए भारी समस्या का सामना करना पड सकता है जिस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भुमि खसरा सं. 111 व अन्य मे आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भुमि खसरा सं0 129 मे से 20 फुट चोडा एवं 650 फुट लम्बा अपने खेत तक जाने हेतु रास्ता की आवश्यकता है एवं भाविष्य मे होने वाले वाद विवाद से बचने के लिए प्रार्थीगण उक्त भुमि को राजस्व रेकर्ड मे सार्वजनिक रास्ते के रूप मे दर्ज करवाना चाहते है जिसके प्रार्थीगण को भविष्य मे कभी परेशानी का सामना नही करना पडे। प्रार्थीगण राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम की धारा 251 'A ' के अनुसार नया रेकर्डेड रास्ता मॉगा जा रहा है एवं उक्त नियम के अनुसार चाहे गये रास्ते के एवज मे बनने वाले नियमानुसार शुल्क का भुगतान अप्रार्थीगण को करने का तैयार है। जिससे उनकी भुमि सार्वजनिक रास्ते की भुमि होने का मुआवजा मिल सके तथा प्रार्थीगण को भाविष्य मे होने वाली समस्या का सामना नहीं करना पडे। प्रार्थीगण उक्त सार्वजनिक रास्ते पर कब्जा हक अधिकार नही जतायेगें। ना हि पक्का पाला मकान या अन्य निर्माण नहीं करेगें रास्ते के निर्माण को छोडते हुए। एवं अप्रार्थीगण को भी रास्ता बंद करने का पाला देने का मकान वगै. बनानेसे रोका जाना न्यायहित मे आवश्यक होने से उन्हे पांबद फरमावै। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भुमि मे जाने हेतु दिंनाक 20/07/2020 को अप्रार्थीगण अपने हिस्से मे से जाने मे बाधा उत्पन्न होने की वजह से प्रार्थना पत्र का कारण उत्पन्न करने से हुआ जो दिन ब दिन बढता गया। अप्रार्थीगण सं. 1 से लागयत 16 तक उक्त रास्ते मे आने वाली भुमि खाातेदार काश्तकार होने से एवम् अप्रार्थी सं. 17 भु स्वामी होने के कारण प्रार्थना पत्र मे पक्षकार बनाये गये है। खातेदार सीतादेवी का देहान्त हो जाने एंव प्रार्थीगण की जानकारी अनुसार उनके विधिक वारिशान का नाम राजस्व रेकर्ड मे पुर्व मे दर्ज होने से उनको पक्षकार नही बनाया है। उपरौक्त तमाम परिस्थितियों में अब प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सरकारी रास्ते खसरा सं. 125 से अपनी खातेदारी भुमि खसरा सं. 111 व अन्य मे आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भुमि खसरा नं. 129 रक्बा 09 बीघा 18 बिस्वा मे से 20 फुट चौडा एवं करीबन 650 फुट लम्बा कुल 13000 वर्ग फुट अर्थात 15 बिस्वा भुमि आने जाने हेतु भुमि रास्ता राजस्व रेकर्ड मे सार्वजनिक रास्ते के रूप मे आदेश प्राप्त करवाने का अधिकारी है इसलिए प्रार्थना पत्र पेश है। उपरोक्त तमाम परिस्थितियों में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र उसके पक्ष में प्रथमदृष्टया प्रमाणित है, विधि अनुरूप है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के ही पक्ष में है। मौजूदा प्रार्थना पत्र में नियत न्यायशुल्क अदा किया जा रहा है। मौजूदा प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के अधिकार क्षैत्र में होने से माननीय न्यायालय को सुनवाई का श्रवण क्षैत्राधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र के साथ शपथपत्र संलग्न है।
अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निम्न प्रार्थना है कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भुमि सरहद मौजा गुडिया पटवार हल्का सबलपुरा भु. अभि. निरि. कोटकिराणा तहसील रायपुर के खसरा नं. 110 रक्बा 29 बीघा 18 बिस्वा किस्म चाही सोयम, खसरा नं. 111 रक्बा 08 बीघा 02 बिस्वा किस्म चाही सोयम, खसरा नं.

सहायक ... अधिकारी
रायपुर (पाली)

112 रक्बा 11 बीघा 13 बिस्वा किस्म चाही सोयम, खसरा नं. 113 रक्बा 07 बिस्वा किस्म गे. मु. बेरा, खसरा नं. 114 रक्बा 11 बिस्वा किस्म गै. मु. बेरा, खसरा नं. 115 रक्बा 01 बीघा 03 बिस्वा किस्म चाही सोयम, खसरा नं. 116 रक्बा 11 बीघा 18 बिस्वा किस्म चाही सोयम पुश्तैनी भुमि आई हुई हे एवं राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी का नाम दर्ज रेकर्ड है। प्रार्थीगण मुख्य रास्ते खसरा सं. 125 से अपनी खातदेारी भुमि मे आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भुमि खसरा सं. 129 मे नजरी नक्शे अनुसार व मौके पर बने रास्ते अनुसार अप्रार्थीगण के सटे अपने खेत मे आते जाते थे परन्तु अप्रार्थीगण ने प्रार्थगण को आने जाने से मना करने से एंव मौके पर रास्ते का भौतिक स्वरूप मे परिवर्तन कर दिया जिस कारण प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भुमि मे आवागमन हेतु राजस्व रेकडेर्ड मे रास्ता नही होने से प्रार्थीगण को भारी समस्या का सामना करना पड रहा है जिस कारण प्रार्थीगण को अन्य खातेदार की जोत मे से होकर नया मार्ग खोलना या बिद्यमान मार्ग का विस्तार करना (अद्यिनियम स. 1 आफ 2012 द्वारा जोडा गया एवं दिनाक 18 जनवरी 2012 से लागु किया गया) सुखाधिकार अधिनियम के तहत विवादित भुमि ग्राम नाहरगढ के खसरा सं. 129 मे से 20 फुट चौडा एवं करीबन 650 फुट लम्बा कुल 13000 वर्ग फुट अर्थात 15 बिस्वा खातेदारी भुमि कि किस्म बारानी अव्ल्ल से सरकारी भुमि किस्म गै. मु.रास्ता के रूप मे घोषित करवाने का आदेश दिरावे। प्रार्थीगण रास्ते मे दर्ज होने वाली भुमि का कानुनन व नियमानुसार रास्ते मे अवाप्त होने वाली खातेदारी भुमि का सरकार द्वारा बनाये नियम अनुसार मुआवजा देने को तैयार है। आदेश की तहरीर तहसीलदार रायपुर का पालना हेतु भिजवाई जावे। श्रीमान द्वारा पारित आदेशानुसार गै. मु. रास्ता सार्वजनिक रहेगा। उक्त भुमि को सार्वजनिक रास्ते के रूप मे दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र श्रीमान के न्यायालय मे पेश है। अन्य कोई लाभ हो तो प्रार्थी के पक्ष मे दिरवाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी। अप्रार्थीगण सं. 3,4,5,7,9,10,15,16) की ओर से अधिवक्ता श्री बिहारी लाल ने वकालत नामा पेश किया। जो संलग्न पत्रावली किया गया हैं। शेष अप्रार्थीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गयी। अप्रार्थीगण सं. 3,4,5,7,9,10,15,16 को पर्याप्त अवसर देने के बावजुद जबाब पेश नही किया। प्रार्थीगण ने मौका रिर्पोट मंगवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार रायपुर से मौका जांच रिपोर्ट एंव प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि पर पहुंच हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता होने या नही होने बाबत, सबसे नजदीकी रास्ते बाबत् प्रतिवेदन प्रेषित करने एंव रास्ता प्रदत करने हेतु प्रतिवेदन तहसीलदार रायपुर से प्राप्त किया गया। तहसीलदार रायपुर ने उनके प्रतिवेदन दिनांक 01.07.2022 के द्वारा प्रार्थीगण कृषि भूमि सरहद मौजा गुडिया पटवार हल्का सबलपुरा भु. अभि. निरि. कोटकिराणा तहसील रायपुर के खसरा नं. 110 रक्बा 29 बीघा 18 बिस्वा किस्म चाही सोयम, खसरा नं. 111 रक्बा 08 बीघा 02 बिस्वा किस्म चाही सोयम, खसरा नं. 112 रक्बा 11 बीघा 13 बिस्वा किस्म चाही सोयम, खसरा नं. 113 रक्बा 07 बिस्वा किस्म गे. मु. बेरा, खसरा नं. 114 रक्बा 11 बिस्वा किस्म गै. मु. बेरा, खसरा नं. 115 रक्बा 01 बीघा 03 बिस्वा किस्म चाही सोयम, खसरा नं. 116 रक्बा 11 बीघा 18 बिस्वा किस्म चाही सोयम के खातेदार काश्तकार होने एंव भू अभिलेख निरीक्षक प्रतिवेदन अनुसार प्रार्थी को भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि 129 रकबा 1.6026 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल में से 0.1294 हैक्टयर भूमि का 20 फीट चौडा एवं 680 फुट लम्बा मार्ग कुल क्षैत्रफल 13600 वर्ग फीट यानि 0.1294 हैक्टेयर नजरी नक्शे के अनुरूप नियमानुसार रास्ता दिये जाने की रिर्पोट पेश की जिसे शामिल मिसल किया गया।

हमने पत्रावली एंव संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। बहस समायत की गई। तहसीलदार रायपुर ने प्रार्थीगण को सरहद मौजा गुडिया पटवार हल्का सबलपुरा भु. अभि. निरि. कोटकिराणा तहसील रायपुर के खसरा नं. 110 रक्बा 29 बीघा 18 बिस्वा किस्म चाही सोयम, खसरा नं. 111 रक्बा 08 बीघा 02 बिस्वा किस्म चाही सोयम, खसरा नं. 112 रक्बा 11 बीघा 13 बिस्वा किस्म चाही सोयम, खसरा नं.

113 रक्बा 07 बिस्वा किस्म गे. मु. बेरा, खसरा नं. 114 रक्बा 11 बिस्वा किस्म गै. मु. बेरा, खसरा नं. 115 रक्बा 01 बीघा 03 बिस्वा किस्म चाही सोयम, खसरा नं. 116 रक्बा 11 बीघा 18 बिस्वा किस्म चाही सोयम के खातेदार काश्तकार होने एंव भू अभिलेख निरीक्षक प्रतिवेदन अनुसार प्रार्थी को भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की भुमि खसरा सं. 129 रकबा 1.6026 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल में से 0.1294 हैक्टयर भूमि का 20 फीट चौडा एवं 680 फुट लम्बा मार्ग कुल क्षैत्रफल 13600 वर्ग फीट यानि 0.1294 हैक्टेयर नजरी नक्शे अनुसार रास्ता दिया जाने की रिर्पोट पेश है जिसकी प्रार्थीगण को अत्यान्तिक आवश्यकता है एवं वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण आवागमन हेतु उक्त खसरा सं. 129 रकबा 1.6026 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल में से 0.1294 हैक्टयर भूमि का 20 फीट चौडा एवं 680 फुट लम्बा मार्ग कुल क्षैत्रफल 13600 वर्ग फीट यानि 0.1294 हैक्टेयर का नियमानुसार शुल्क जमा करवाने के बाद सावर्जनिक प्रयोजनार्थ हेतु किस्म बारानी अव्वल के स्थान पर गै. मुमकिन रास्ता दर्ज किया जाना न्यायोचित समझते है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि के सरहद मौजा गुडिया पटवार हल्का सबलपुरा भु. अभि. निरि. कोटकिराणा तहसील रायपुर के खसरा नं. 110 रक्बा 29 बीघा 18 बिस्वा किस्म चाही सोयम, खसरा नं. 111 रक्बा 08 बीघा 02 बिस्वा किस्म चाही सोयम, खसरा नं. 112 रक्बा 11 बीघा 13 बिस्वा किस्म चाही सोयम, खसरा नं. 113 रक्बा 07 बिस्वा किस्म गे. मु. बेरा, खसरा नं. 114 रक्बा 11 बिस्वा किस्म गै. मु. बेरा, खसरा नं. 115 रक्बा 01 बीघा 03 बिस्वा किस्म चाही सोयम, खसरा नं. 116 रक्बा 11 बीघा 18 बिस्वा किस्म चाही सोयम में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की भुमि खसरा सं. 129 रकबा 1.6026 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल भूमि जो अप्रार्थीगण की खातेदारी हैं। जिसमें से 0.1294 हैक्टयर भूमि का 20 फीट चौडा एवं 680 फुट लम्बा मार्ग कुल क्षैत्रफल 13600 वर्ग फीट यानि 0.1294 हैक्टेयर रकबा ,अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से कम करते हुए इसे सार्वजनिक सिवाय चक गै. मुमकित रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त संलग्न भू अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट के नजरी नक्शा अनुसार रास्ते की भूमि की किस्म बारानी अव्वल से गै.मु. रास्ता के रूप में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार रायपुर को साथ यह भी निर्देश दिये जाते है कि उक्त दिया जाने वाली रास्ते का राजस्थान सरकार द्वारा तयशुदा नियमानुसार राशि प्रार्थी से प्राप्त करें एवं राशि प्राप्ति करने के बाद ही उक्त आदेश का अंकन राजस्व रेकर्ड मे किया जावे। उक्त राशि को प्रभावित अप्रार्थीगण को नियमानुसार भुगतान करें। संबंधित अप्रार्थीगण उक्त राशि प्राप्त नहीं करने पर उसे तब तक जमा रखें जब तक ऐसे खातेदार राशि प्राप्त नहीं कर लें। ऐसी राशि पर कोई ब्याज या अन्य भुगतान देय नहीं होगा। उक्त रास्ता सावर्जनिक प्रयोजनार्थ होगा अर्थात रास्ता आसपास के कृषको एंव राहगीरों के द्वारा उपयोग किया जा सकेगा। इस रास्ते के उपयोग हेतु किसी प्रकार से बाधित/अवरूद्व नही किया जा सकेगा। उक्त रास्ते पर किसी भी प्रार्थीगण द्वारा हक अधिकार नहीं जताया जायेगा। तहसीलदार रायपुर के प्रतिवेदन के संलग्न नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हों।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

यह निर्णय आज दिनांक 12.01.2023 को सरे इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली